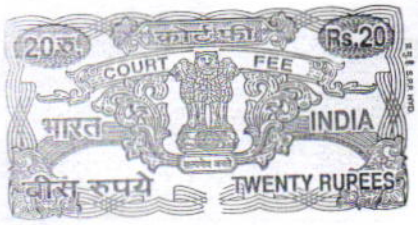

(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2018 जिला – खरगौन

अपील- 4957/2018/खरगोन/आ०अ०

मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज, खोड़ीग्राम, बड़वाह, जिला–खरगौन (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरूद्ध

1– उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, इन्दौर (म.प्र.)

2– सहायक आबकारी आयुक्त जिला – खरगौन म.प्र.

3– जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड खोड़ीग्राम, बड़वाह, जिला–खरगौन (म.प्र.)

-- प्रत्यर्थीगण

श्री ... द्वारा आज दि० 13/8/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 06-9-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-8-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठां. क्रमांक 5 (1)/2018–19/3350 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2018 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 4957/2018/खरगोन/आ.अ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-5-2019	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/3550 में पारित आदेश दिनांक 12-7-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2015-16 हेतु आसवनी परिसर में देशी मदिरा की बॉटलिंग कर, उससे सम्बद्ध प्रदाय क्षेत्रों में देशी मदिरा प्रदाय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक (1)15-16/1419 दिनांक 20-4-2015 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी का सी.एस. 1-बी लायसेंस नवीनीकरण किया गया था । उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, इंदौर के प्रतिवेदनों के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा सी.एस. 1-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई बड़वाह जिला खरगोन में माह अप्रैल, 2015 मार्च 2016 तक की अवधि में रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं बोतलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2018-19/3550 में दिनांक 12-7-2018 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट कहा जायेगा) के 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 20,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही, उक्त उल्लंघन लगातार चालू रहने के कारण प्रदाय संविदाकार पर सी.एस. 1-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में प्रश्नाधीन अवधि में कुल 366 दिवस रेक्टीफाइड स्प्रिट तथा 335 दिवस बोतलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 100/- प्रतिदिन के मान से रूपये 70,100/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 90,100/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं	

साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्ट जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आसवक द्वारा आवश्यक संग्रह हमेशा रखा गया है और किसी भी प्रदाय क्षेत्र में मदिरा प्रदाय विफल नहीं हुआ है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि किसी भी लायसेंसी द्वारा हुए नुकसान की पूर्ति की मांग शासन से नहीं की गई है । अत: अपीलार्थी कम्पनी पर जो आरोप लगाये गये हैं, वह उचित नहीं है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा लायसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी एवं राज्य शासन के बीच संविदा के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 1955 एवं ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 1098 में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब राज्य शासन को कोई हानि ही नहीं हुई है, तब अपीलार्थी कम्पनी पर शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष के मध्य एक संविदा है, जो उभय पक्ष पर बंधनकारी है । ऐसी स्थिति में किसी एक पक्ष को हुई हानि की पूर्ति के लिए उस सीमा तक हानि वसूल की जा सकती है, मनमाने ढंग से शास्ति अधिरोपित नहीं लगाई जा सकती । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है । अत: प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं:-

1. देशी स्प्रिट के नियम 4(4) जो कि आज्ञापक उपबंध है, के अनुसार-

> 4. Manufacture, working & Control:---
>
> (4) The license shall maintain at the distillery the minimum stock of spirit as prescribed by the Excise Commissioner from time to time."

2. अपीलार्थी इकाई वर्ष 2015-16 के लिए सी.एस.1-बी लाइसेंस प्रयाय किया गया था और सी.एस. 1 लाइसेंस की शर्त के अनुसार म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) के अनुसार ईकाई को विगत माह के औसत प्रदाय में समतुल्य भरी हुई बोतलबंद देशी मदिरा का संग्रह रखना अनिवार्य है ।

3. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, इंदौर के पत्र अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार बड़वाह जिला खरगोन पर प्रश्नाधीन अवधि में कुल 366 दिवस रेक्टीफाईड स्प्रिट तथा 335 दिवस बोतलबंद देशी मदिरा का न्यूनतम स्टॉक कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है ।

4. उपरोक्तानुसार इकाई को आबकारी आयुक्त द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित करते हुए 7 दिवस के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी तामीली अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि को कराई गई है ।

5 . अपीलार्थी के उपरोक्त कृत्य को आबकारी आयुक्त द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) का उल्लंघन है और उपरोक्त आधार पर नियम 12(1) के अधीन दण्डनीय होना मान्य किया गया और उपरोक्तानुसार मद्यभाण्डागार पर 335 दिवस का न्यूनतम स्टॉक भण्डार नहीं पाया गया और उपरोक्त के आधार पर 100/- रूपये प्रतिमाह के हिसाब 70,100/- रूपये एवं न्यूनतम स्टॉक नहीं रखे जाने से 20,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित कर कुल 90,100/- की शास्ति अधिरोपित की गई ।

6. उपरोक्त अधिरोपित इकाई के म.प्र. देशी स्प्रिट नियम का उल्लंघन किये जानेसे 4(4) का उल्लंघन कियेजाने से नियम 12(1) अनुसार यह दण्डनीय होने से उपरोक्त के आधार पर अनियमितता एवं विहित प्रावधानों के उल्लंघन होने पर इकाई पर 90,100/- रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है ।

7. अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ आबकारी आयुक्त के समक्ष कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा विहित वैधानिक नियमानुसार 25 प्रतिशत का संग्रह कांच की बोतल में रखा गया और न ही ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह दर्शित हो कि अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है । अपीलार्थी द्वारा मेमों में वर्णित न्याय दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 60/2016 मेसर्स सोम डिस्टलरीज आदि में विचारण में लेते आदेश पारित किया गया है और उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि नियम 12 स्प्रिट नियम 1995 का उल्लंघन होने के कारण शास्ति अधिरोपित की गई, जिसमें व्यक्तिगत हानि आवश्यक नहीं है और शास्ति अधिरोपित किए जाने से नियम का उल्लंघन किए जाने हेतु पर्याप्त है । उनके द्वारा अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

तर्कों के समर्थन में ए.आई.आर. 1970 सुप्रीम कोर्ट 253, ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 346, ए.आई.आर. 1985 सुप्रीम कोर्ट 285 एवं ए.आई.आर. 1990 सुप्रीम कोर्ट 1979 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई बड़वाह जिला खरगोन में प्रश्नाधीन अवधि में विभिन्न तिथियों में, विगत

माह के 7 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह नहीं रखा गया है । म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) एवं सी.एस. 1-बी के अनुसार विगत माह के 7 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टीफाइड स्प्रिट एवं 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह रखना आवश्यक है । भले ही अपीलार्थी के उक्त कृत्य से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है । अत: अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 20,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में कुल 366 दिवस रेक्टीफाइड स्प्रिट तथा 335 दिवस बोतलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 100/- प्रतिदिन के मान से रूपये 70,100/- कुल रूपये 90,100/- जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई नहीं है । अत: इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12-7-2018 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष